संख्या : 3406 / 9—आ—5—2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
आवास विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—5 लखनऊ : दिनांक : 18 अगस्त, 2000

विषय : विकास प्राधिकरणों में जॉब बेसिस के आधार पर कम्प्यूटर से कार्य कराने जाने विषयक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों में कम्प्यूटर संचालन हेतु कोई कार्मिक उपलब्ध नहीं है, जिससे क्रय किये गये कम्प्यूटरों का प्राधिकरणों द्वारा समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और साथ ही प्राधिकरणों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

2. अतः शासन स्तर पर इस समस्या पर विचार किया गया और सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिस प्राधिकरणों में कम्प्यूटर संचालन हेतु कोई कार्मिक उपलब्ध नहीं है, तो उस प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकरण में स्थापित प्राधिकरण के कम्प्यूटर का उपयोग करते हुये **'जॉब बेसिस (Job basis)** के आधार पर किसी **बाहरी कम्प्यूटर / साफ्टवेयर कंसल्टेन्सी फर्म** से यह कार्य करा लिया जाय। इस कार्य के लिये अधिकतम निम्नानुसार भुगतान किया जा सकता है :—

कार्य की श्रेणी	प्रति मानव दिवस	प्रति मानव माह
डाटा इन्ट्री सम्बन्धी	रु0 77.00	रु0 2000.00
प्रोग्रामिंग सम्बन्धी	रु0 115.00	रु0 3000.00

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरणों द्वारा उक्त कार्यों के निस्तारण हेतु न तो किसी भी प्रकार का **नियुक्ति आदेश** निर्गत किया जायेगा और न ही कार्यों के निस्तारण करने वाले **बाहरी व्यक्तियों का कोई मस्टररोल** ही बनाया जायेगा। **बाहरी कम्प्यूटर / साफ्टवेयर कन्सल्टेन्सी फर्म** के जिन कर्मियों द्वारा प्राधिकरण के कम्प्यूटर विषयक कार्यो का निस्तारण कराया जायेगा, उस निस्तारित कार्य की प्रत्येक कार्य दिवसवार उसकी प्रविष्टि प्राधिकरण में बनाये गये एवं रखे एक लॉगबुक में किया जायेगा तथा उसका भुगतान लॉग बुक में की गयी प्रविष्टि के अनुसार ही किया जायेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस के समापन पर कार्य का भौतिक सत्यापन करेगा और तदोपरान्त लागबुक में अंकित प्रविष्टि को भी सत्यापित करेगा। उपरोक्त कार्यों का भुगतान सीधे सम्बन्धित फर्म को किया जायेगा।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं अनुपालन आख्या शासन को भी उपलब्ध करायें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्याः 3406(1)/9–आ–5–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को सूचनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 आवास संघ, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0 प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।